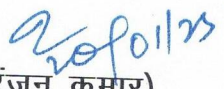


बिहार सरकार
खेल विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक-20/01/2025

संचिका सं०-1/खेल 1-65/24/...13...बिहार खेल विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2021 यथा संशोधित, के नियम-42 (ग) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के प्रथम सामान्य परिषद् का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | |
|---|------------------|
| (i) माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर | — अध्यक्ष |
| (ii) माननीय खेल मंत्री, बिहार | — उपाध्यक्ष |
| (iii) कुलपति, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर | — सदस्य |
| (iv) मुख्य सचिव, बिहार | — सदस्य |
| (v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार | — सदस्य |
| (vi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार | — सदस्य |
| (vii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग, बिहार | — सदस्य |
| (viii) महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना | — सदस्य |
| (ix) श्री विष्णु कान्त तिवारी, सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण | — सदस्य |
| (x) श्री हरेन्द्र सिंह, मुख्य प्रशिक्षक, भारतीय हॉकी महिला सीनियर टीम | — सदस्य |
| (xi) श्री एन० रमेश, मुख्य प्रशिक्षक, भारतीय एथलेटिक्स टीम | — सदस्य |
| कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय | — गैर-सदस्य सचिव |
2. प्रथम सामान्य परिषद् की अवधि तीन (03) वर्षों की होगी।
3. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

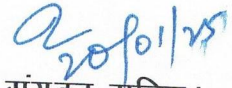

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-20/01/2025

ज्ञापांक-1/खेल 1-65/24/...279...

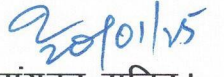
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र से प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई० टी० मैनेजर, खेल विभाग)।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/खेल 1-65/24/...219...

पटना, दिनांक-20/01/2025

प्रतिलिपि:-राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना; महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना; मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना; माननीय मंत्री, खेल विभाग के आप्त सचिव; मुख्य सचिव, बिहार, पटना; अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार; अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार; अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग, बिहार; कुलपति, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर (नालंदा); श्री विष्णु कान्त तिवारी, सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण; महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना; श्री हरेन्द्र सिंह, मुख्य प्रशिक्षक, भारतीय हॉकी महिला सीनियर टीम; श्री एन० रमेश, मुख्य प्रशिक्षक, भारतीय एथलेटिक्स टीम; कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर; सभी विभाग; संबंधित सभी कार्यालय; संबंधित सभी पदाधिकारी; अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना; आई० टी० मैनेजर खेल विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।